

प्रश्न सं. [क. 21]

कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
रानी सराय जिला इंदौर

क्रमांक/खे.यु.क./ 556 / 2020

इंदौर दिनांक 19/12/2020

प्रति,

संचालक,
खेल और युवा कल्याण मंत्र
भोपाल।

विषय - विक्रम स्पोर्ट्स कबड्डी क्लब इंदौर द्वारा खिलाड़ियों को मनमाने रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र न देते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।


संदर्भ - संचालनालय खेल और युवा कल्याण मंत्र, भोपाल का पत्र क्र./4927/खे.यु.क./स्था./2020 दिनांक 18.12.2020

- 00 -

उपरोक्त विषयांतर्गत सदरित पत्र के निर्देशानुसार विक्रम स्पोर्ट्स इंदौर द्वारा कबड्डी खिलाड़ी भवानी राजपूत, रविन्द्र चौहान एवं हर्ष विनानी को आज दिनांक 19.12.2020 को ~~अनापत्ति~~ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। (अनापत्ति प्रमाण पत्र को छायाप्रति सलग्न है)

अतः प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

सलग्न - उपरोक्तानुसार


जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
जिला - इंदौर

पृ.क्र./खे.यु.क./ / 2020

इंदौर, दिनांक :

प्रतिलिपि -

1. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला इंदौर की ओर सादर सूचनाार्थ।

जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
जिला - इंदौर



विक्रम स्पोर्ट्स क्लब, इन्दौर



भारतीय खेल कबड्डी + योग + समाज सेवा संस्था
(महिला कबड्डी, हॉकी तथा एच.आर. ज्यमशुज कबड्डी एवम्. श्री माधवराव भवन)
क्रीडा स्थान - महार आश्रम स्कूल, शम्भुवाग, इन्दौर
कार्यालय - 157, बोर्वा वरुण अपार्टमेंट, शाप नं. 2 महारआश्रम के सामने, इन्दौर
मो. < 85188-88433, 98264-88850, 99260-24455

दिनांक - 19/12/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भवानी राजपूत पिता श्री शंकर सिंह राजपूत, रविंद्र पिता श्री नंदलाल पौडान, हर्ष पिता श्री धामसुन्दर मिश्रा को अन्य किसी खेल या खेलने के लिए हमे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिलिपि:-

① जिला खेल अधिकारी
इन्दौर

② सचिव, मध्य प्रदेश कबड्डी
संघ भोपाळ